मध्य प्रदेश शासन
प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति
सचिवालय
कार्यालयः टैगोर छात्रावास क्रमाँक टी–2, श्यामला हिल, भोपाल–462002
दूरभाष एवं फैक्स : 0755–2660461, email:afrcmp@gmail.com, web site: www.afrcmp.org

क्रमांक / सचि. / ओएसडी / 2016 / 2952 दिनांक 29/6/16

प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / संचालक / प्राचार्य,
निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त समस्त तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षण संस्थायें,
मध्यप्रदेश

विषय :– प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिये विनियमित किये गये शुल्क से कम शुल्क लिये जाने के संबंध में ।

—

उपरोक्त विषयांतर्गत प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति की दिनांक 21.06.2016 को सम्पन्न हुई बैठक में निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में संचालित पाठ्यक्रमों के लिये शैक्षणिक शुल्क का विनियमन आगामी ब्लॉक अर्थात् सत्र 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 के लिये किया गया है । समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि कुछ संस्थायें उनके यहॉ संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा विनियमित किये गये शुल्क से कम शुल्क का प्रलोभन देकर प्रवेश लेने वाले अभ्यार्थियों को अपनी संस्था में प्रवेश के लिये आकर्षित करती हैं । इस संबंध में समिति द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया हैं :–

"AFRC also decided that, if any institution announces lesser fee from the fee decided by the AFRC, the same shall be declared as legal fee for that course run by the institute and same shall be informed to the concerned counselling authority/department".

समिति द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुसार कृपया सुनिश्चत करें कि आपकी संस्था में संचालित पाठ्यक्रमों में उक्त प्रकार की कार्यवाही संचालित नहीं हो रही हो, अन्यथा समिति द्वारा लिये गये निर्णय के दृष्टिगत् संस्था के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करने के लिये संबंधित विभाग को सूचित करते हुये पाठ्यक्रम का अनुमोदन / स्वीकृति प्रदान करने वाली निकाय (Regulatary Body) को भी इस संबंध में सूचित किया जावेगा ।

N.K.Sharma 28/06/16
(डॉ. एन.के.शर्मा)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

पृ. क्रमांक / सचि. / ओएसडी / 2016 / 2953 दिनांक– 28/6/16

प्रतिलिपि–1. माननीय अध्यक्ष महोदय प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति, भोपाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर सचिव, म.प्र.शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, (प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति का नोडल विभाग) मंत्रालय, भोपाल को सूचनार्थ प्रेषित।
3. संचालक, तकनीकी शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित ।

N.K.Sharma 28/06/16
(डॉ. एन.के.शर्मा)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी